

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया(गिरिडीह)

छक्कन मंडल बनाम् पवन कुमार मंडल वगै०

विविध वाद संख्या -102/2024

U/S - B.N.S.S.163

1

आदेश की  
क्र०सं० और  
तिथि

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

आदेश पर की  
गई कार्यवाई के  
बारे में टिप्पणी  
तारीख सहित

प्रथम पक्ष:-

1. छक्कन मंडल, पिता - स्व० तेजो मंडल,  
साकिन - नगर केशवारी, थाना- सरिया, जिला- गिरिडीह।

बनाम्

द्वितीय पक्ष:-

1. पवन कुमार मंडल, पिता - स्व० महादेव मंडल,
  2. सुनील कुमार मंडल, पिता - स्व० महादेव मंडल,
  3. संजु देवी, पति - सुनील कुमार मंडल,
  4. मसोमात बैजन्ती, पति - स्व० महादेव मंडल,
  5. ममता देवी, पति - पवन कुमार मंडल,
- सभी साकिन - नगर केशवारी, थाना- सरिया, जिला- गिरिडीह।

आदेश

इस वाद की कार्यवाही आवेदक के आवेदन पत्र एवं अंचल अधिकारी, सरिया से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन करने के पश्चात प्रारंभ की गई। वाद की कार्यवाही प्रारंभ कर दोनों पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए अपने-अपने दावे के समर्थन में कारण-पृच्छा की माँग की गई।

विवादित भूमि की विवरणी

| मौजा        | खाता सं० | प्लॉट सं० | रकबा                 | चौहद्दी                                                |
|-------------|----------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| नगर केशवारी | 109      | 2324      | 09 डी० मधे<br>03 डी० | उ०- सोबरन सुण्डी, द०- भरत<br>सुण्डी, पु०- नीज, प०- नीज |

इस न्यायालय से निर्गत नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् उभय पक्ष/उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपने-अपने दावे के समर्थन में लिखित कथन एवं राजस्व दस्तावेज समर्पित किये।

प्रथम पक्ष

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 21.06.2024 को लिखित आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज समर्पित किया गया, जो अभिलेख में संलग्न हैं :-

1. लिखित आवेदन - कुल 04 पृष्ठ, प्रदर्श A-1

10/9.2024

2. मनी सुण्डी वगै० के नाम से ऑनलाइन रसीद की छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ, प्रदर्श A-2
3. भरथ सुण्डी वगै० के नाम से ऑफलाइन खतियान की छायाप्रति – कुल 03 पृष्ठ, प्रदर्श A-3
4. ऑफलाइन नक्शा की छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ, प्रदर्श A-4
5. छक्कन मंडल के नाम से आधार कार्ड की छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ, प्रदर्श A-5

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक <sup>21</sup> 12.06.2024 को समर्पित लिखित कथन में, संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है—

**आवेदन का प्वाइंट नं० 05** — यह कि प्रथम पक्ष को उपरोक्त जमीन सर्वे खतियान से हासिल है जिसका सर्वे खतियान भरथ सुण्डी वगै० के नाम से दर्ज है। जिसका खाता नं० — 109, प्लॉट नं० — 2324 कुल रकबा — 09 डी० मध्ये विवादित रकबा — 03 डी० चौहदी उ० — सोबरन सुण्डी, द० — भरथ सुण्डी, पू० — नीज, प० — नीज अवस्थित है।

**आवेदन का प्वाइंट नं० 06** — यह कि उपरोक्त जमीन का जमाबंदी अंचल कार्यालय सरिया में दर्ज है जो पंजी 2 के भोलुम नं० — 01 पेज नं० — 112 में मनी सुण्डी व छक्कन सुण्डी वगैरह के नाम से कायम है जिसका राजस्व लगान रसीद वर्ष 2023-24 तक निर्गत है।

**आवेदन का प्वाइंट नं० 07** — यह कि द्वितीय पक्ष के सदस्यगण कुछ गुन्डों के साथ दिनांक — 18.06.2024 को उपरोक्त जमीन पर आये और उस जमीन बाजबरन खेती बारी के लिए जोत कोड करने लगे तो प्रथम पक्ष और उनके परिवार के सदस्यगण उन्हें काम करने से रोका तो द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष और उनके परिवार के सदस्यों को मारने पर उतारू हो गये। परन्तु मोहल्ले के लोग ने समय पर हस्तक्षेप करने पर स्थिति नियंत्रण में रही है। घटना के तुरंत बाद मामले की सूचना संबंधित थाने को दी गई परन्तु संबंधित थाने द्वारा अभी तक कोई कार्यवाई नहीं की गई है।

### द्वितीय पक्ष

द्वितीय पक्ष के द्वारा, दिनांक— 10.09.2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर, अपने दावे के समर्थन में लिखित कारण-पृच्छा सहित निम्न कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया, जो अभिलेख में संलग्न है।

1. लिखित कारण-पृच्छा — कुल 03 पृष्ठ, प्रदर्श B-1
2. दिनांक — 11.01.2009 के सादा एग्रीमेंट की छायाप्रति — कुल 01 पृष्ठ, प्रदर्श B-2
3. दिनांक — 26.06.2022 के एग्रीमेंट की छायाप्रति — कुल 05 पृष्ठ, प्रदर्श B-3
4. भरथ सुण्डी वगै० के नाम से ऑफलाइन खतियान की छायाप्रति— कुल —02 पृष्ठ, प्रदर्श B-4
5. मनी सुण्डी वगै० के नाम से ऑनलाइन रसीद की छायाप्रति — कुल 01 पृष्ठ, प्रदर्श B-5

द्वितीय पक्ष के द्वारा दिनांक 10.09.2024 को समर्पित कारणपृच्छा में, संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है—

**कारण — पृच्छा का प्वाइंट नं० 03** — यह कि मौजा — नगर केशवारी, खाता नं० — 109, प्लॉट नं० — 2324, रकबा — 09 डी० खतियानी जमीन भरथ सुण्डी, खेमन सुण्डी व टीको सुण्डी व माहा सुण्डी व सोबरन सुण्डी बहिस्सा बराबर — बराबर है।

कालंतर में सभी खतियानी रैयत के बीच हिस्सा बंटवारा होने पर छक्कन सुण्डी के हिस्से में 1.12 1/2 डी० जमीन उक्त खाता प्लॉट में मिला है।

10.09.2024

**कारण — पृच्छा का प्वाइंट नं० 04** — यह कि उपरोक्त वाद की तकरारी जमीन खाता नं० — 109, प्लॉट नं० — 2324, रकबा — 09 डी० के मध्ये 03 डी० जमीन पर धारा 163 बी०एन०एस०एस० के अंतर्गत द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष के आवेदन पर नोटिस निर्गत किया गया जो गलत है तथा चलने योग्य नहीं है। क्योंकि छक्कन सुण्डी के हिस्से में 1.12 1/2 डीसमिल जमीन ही उक्त खाता प्लॉट में पड़ता है तब मुकदमा 03 डी० पर क्यों और कैसे चलाया जा सकता है।

**कारण — पृच्छा का प्वाइंट नं० 05** — यह कि उपरोक्त तकरारी जमीन की पत्नी ने 11.09.2009 को द्वितीय पक्ष संख्या — 01 एवं 02 के पिता के साथ 15000/- रुपया लेकर निबंधन केवाला द्वारा भू हस्तानांतरण करने का करार किया था तथा उसी समय तकरारी जमीन को द्वितीय पक्ष के दखल कब्जे में दे दिया था।

**कारण — पृच्छा का प्वाइंट नं० 06** — यह कि प्रथम पक्ष के पुत्र सुरेन्द्र मंडल ने दिनांक 26.06.2022 को उक्त खाता, प्लॉट में 4.50 धुर जमीन द्वितीय पक्ष के सुनील कुमार मंडल के साथ सदामदी बिक्री के एकरारनामा स्थानीय मुखिया के समक्ष 63000/- रुपया लेकर बना दिया उक्त एकरारनामा में प्रथम पक्ष के पुत्र सुरेन्द्र कुमार मंडल एवं सुरेन्द्र कुमार मंडल की पत्नी तथा गवाह मनोज कुमार उर्फ मनी मंडल एवं स्थानीय मुखिया लखीया देवी का हस्ताक्षर है, जिसकी पुष्टी अंचल अधिकारी, सरिया के प्रतिवेदन पत्रांक — 449, दिनांक — 09.07.2024 तथा अंचल अधिकारी के आदेश पर जांच करा कर दिया गया, कर्मचारी के प्रतिवेदन से भी सत्य प्रतीत होता है।

**कारण — पृच्छा का प्वाइंट नं० 07** — यह कि द्वितीय पक्ष के सदस्यगण उपरोक्त जमीन पर वर्ष 2009 से चहारदिवारी देकर दखल कब्जे में चले आ रहे हैं। जिसकी पुष्टी अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन से भी होता है।

**कारण — पृच्छा का प्वाइंट नं० 08** — यह कि तकरारी जमीन का मूल्य लेकर प्रथम पक्ष की पत्नी एवं पुत्र द्वारा लिखित रूप से द्वितीय पक्ष के सदस्यगणों को वर्ष 2009 एवं 2022 में दखल कब्जा देकर प्रथम पक्ष जान बुझकर उक्त जमीन को द्वितीय पक्ष के दखल कब्जा से वापस लेने के लिए उपरोक्त वाद को लाया है, जो चलने योग्य नहीं है।

**कारण — पृच्छा का प्वाइंट नं० 09** — यह कि द्वितीय पक्षगण के सदस्यगण मात्र 6 1/2 धुर जमीन यानि लगभग 1.5 डी० जमीन पर प्रथम पक्ष के पुत्र एवं पत्नी से खरिदकर दखलकार चले आ रहे हैं जो प्रथम पक्ष को खतियानी हिस्से से प्राप्त हुआ है तो प्रथम पक्ष किस आधार पर 03 डी० जमीन पर उपरोक्त वाद को लाया है। इस बिंदु पर भी उक्त वाद माननीय न्यायालय के सक्षम चलने योग्य नहीं है।

### अंचल सरिया का प्रतिवेदन —

अंचल अधिकारी, सरिया का पत्रांक— 449 दिनांक — 09.07.2024 अनुलग्नक सहित कुल — 04 पृष्ठ ( प्रतिवेदन — 02 पृष्ठ, रा०उ०नि० एवं प्र०अ०नि० का प्रतिवेदन — 02 पृष्ठ) — प्रदर्श C-1

मौजा — नगर केशवारी, थाना नं० — 28 के अंतर्गत खाता नं० — 109, प्लॉट नं० — 2324, रकबा — 0.09 डी० किस्म जमीन मकान सहन वाकब्जे इजयाब खतियान में दर्ज है। प्रथम पक्ष द्वारा सर्वे खतियान एवं लगान रसीद की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है। प्रथम पक्ष खतियानी रैयत के वंशज होने के नाते अपना दावा करते हैं। जिसमें वंशावली के अनुसार प्रथम पक्ष का हिस्सा प्रश्नगत प्लॉट में मात्र 1.12.5 डी० आता है। जिस पर वे अपना दावा करते हैं। प्रश्नगत प्लॉट बार के रूप में है।

109.2024

द्वितीय पक्ष द्वारा जाँच के दौरान एक सादा एकरारनामा प्रस्तुत किया। जिसमें प्रश्नगत भूमि के संबंध में वर्णित है कि उक्त भूमि के बावत् 15000/- रुपया प्रथम पक्ष के यानि छक्कन मंडल के पत्नी को दिनांक - 11.09.2009 को उक्त भूमि का निबंधन करने के करार पर दिया गया था। जिसे प्रथम पक्ष मानने से इन्कार करते हैं। इसी बात को लेकर उभय पक्षों में विवाद है।

प्रथम पक्ष के पुत्र सुरेन्द्र कुमार मंडल द्वारा द्वितीय पक्ष के सुनील मंडल पिता - स्व० महादेव मंडल को एग्रीमेंट दिनांक - 26.06.2022 के तहत प्रश्नगत प्लॉट में रकबा 4.50 धुर किया गया है।

सभी दस्तावेजों की प्रति संलग्न है।

1. खतियान के अनुसार :- भरत सुण्डी वो खेमन सुण्डी वो टीको सुण्डी, पिता - देवचन्द सुण्डी। हिस्सा व हिस्सा बराबर वो माहा सुण्डी वो सोबरन सुण्डी पिता सेवा राम सुण्डी व हिस्सा बराबर।
2. पंजी - II के आधार पर :- ऑनलाइन जमाबंदी भोलूम नं० - I/112 पृष्ठ पर मूल खतियानी रैयत के वंशाजों के नाम से कुल रकबा - 28 ए० 43.23 डी० कायम है।
3. सरजमीन पर दखल कब्जा संबंधी:- प्रश्नगत भू खण्ड बारी के रूप में है। तथा चाहरदीवारी के अंदर है। जिस पर द्वितीय पक्ष के व्यक्तियों का कई वर्षों से दखल कब्जा है।
4. प्रथम पक्ष प्रश्नगत प्लॉट पर दखल कब्जा करने हेतु अकसर द्वितीय पक्ष से वाद - विवाद करते रहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त भूमि को लेकर दोनो पक्ष कभी भी आपस में लड़ाई झगड़ा कर विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था भंग कर सकते हैं।

### थाना सरिया का प्रतिवेदन -

थाना प्रभारी, सरिया का ज्ञापांक - 1343 दिनांक - 09.07.2024 अनुलग्नक सहित कुल - 01 पृष्ठ ( प्रतिवेदन - 01 पृष्ठ) - प्रदर्श D-1

जाँच के क्रम में वादी द्वारा बताया गया कि विवादित भूमि मौजा - नगरकेशवारी अंतर्गत खाता नं० - 109, प्लॉट नं० - 2324, रकबा - 09 डी० के मध्ये 03 डी० भूमि मेरे हिस्से की है जिसे विपक्षी पवन कुमार मंडल पिता - स्व० महादेव मंडल वगैरह बाजबरन कब्जा कर रखे हैं एवं खेती बाड़ी करते हैं। जाँच के क्रम में विपक्षी द्वारा बताया गया कि विवादित भूमि इनके हिस्से का है जिस पर कई विगत वर्षों से खेती करते आ रहे हैं। जाँच के क्रम ग्रामिणों द्वारा पूछने पर पता चला कि वर्तमान में उक्त विवादित भूमि पर विपक्षीगण ही खेती करते हैं। विवादित भूमि पर अपने - अपने दावेदारी को लेकर दोनों पक्षों में तनाव है जिस कारण विधि - व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है।

### विश्लेषण एवं निष्कर्ष

उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कथन/कारण -पृच्छा, राजस्व दस्तावेज एवं थाना/अंचल के प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि -

1. विवादित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :-

| मौजा        | खाता सं० | प्लॉट सं० | रकबा                   | चौहद्दी                                             |
|-------------|----------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| नगर केशवारी | 109      | 2324      | 09 डी० मध्ये<br>03 डी० | उ०- सोबरन सुण्डी, द०- भरत सुण्डी, पु०- नीज, प०- नीज |

2. उक्त विवादित भूमि खाता नं० - 109 रैयती खाता की भूमि है, जो सर्वे खतियान में भरथ सुण्डी वगै० के नाम से दर्ज है।

105  
10.09.2024

3. प्रथम पक्ष का कहना है कि उक्त विवादित भूमि उन्हें खतियानी रैयत के वंशज होने के नाते हासिल है।
4. द्वितीय पक्ष का कहना है कि उक्त विवादित भूमि, उन्हें प्रथम पक्ष की पत्नी के द्वारा द्वितीय पक्ष के पिता महादेव मंडल को सादा एग्रीमेंट के माध्यम से प्राप्त है।  
पुनः उन्हें प्रथम पक्ष के पुत्र सुरेन्द्र कुमार मंडल के द्वारा द्वितीय पक्ष के सदस्य संख्या - 02 सुनील कुमार मंडल को एग्रीमेंट के माध्यम से प्राप्त है।
5. पुनः द्वितीय पक्ष का कहना है कि उक्त विवादित भूमि पर वर्ष 2009 से चाहरदिवारी देकर दखल कब्जे में चले आ रहे हैं।
6. अंचल एवं थाना के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उक्त विवादित भूमि पर द्वितीय पक्ष का दखल कब्जा है।

अतः इस वाद में प्रथम पक्ष के विरुद्ध निर्गत निषेधाज्ञा को संपूष्ट किया जाता है; तथा द्वितीय पक्ष के विरुद्ध निर्गत निषेधाज्ञा को वापस लिया जाता है।

अंसतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय जा सकते हैं।

उभय पक्ष को आदेश से अवगत कराये।

कानून व्यवस्था संधारण हेतु आदेश की प्रति थाना एवं अंचल कार्यालय को भेजे।

इसके साथ ही वाद को समाप्त घोषित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

  
10.09.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी  
बगोदर-सरिया।

  
10.09.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी  
बगोदर-सरिया।